समक्ष एम.एम पूंछी, जे.

धन सिंह और अन्य- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरदाता

आपराधिक विविध संख्या 3641M/1984

18 सितम्बर 1984

हरियाणा बाल अधिनियम (1974 का XIV) - धारा 2 (एच) और 27 - आरोपी पर हत्या का आरोप - बाल न्यायालय शिकायतकर्ताओं को शामिल किए बिना आरोपी की उम्र की जांच कर रहा है - धारा 27 - क्या उक्त शिकायतकर्ताओं के जांच के साथ संबंध की कल्पना की गई है -शिकायतकर्ताओं को शामिल किए बिना पारित आदेश क्या रद्द किया जा सकता है।

माना गया कि अपराधी बच्चों के संबंध में बाल न्यायालय हरियाणा बाल अधिनियम 1974 की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित "सक्षम प्राधिकारी" के दायरे में आता है। इसकी धारा 27 के लिए आवश्यक है कि उक्त अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अलावा कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की किसी भी बैठक में उपस्थित रहेगा, सिवाय-(ए) सक्षम प्राधिकारी का एक अधिकारी, या (बी) सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जांच के पक्ष, बच्चे के माता-पिता या अभिभावक और पुलिस अधिकारियों सहित जांच में सीधे तौर पर शामिल अन्य व्यक्ति; और(सी) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें सक्षम प्राधिकारी उपस्थित होने की अनुमति दे सकते हैं। अब यह प्रावधान बहुत सारे लोगों को शामिल करता है जो कार्यवाही में पक्षकार हो सकते हैं। अपराध के घटित होने के कारण व्यथित व्यक्तियों के रूप में शिकायतकर्ता, यदि जांच में सीधे तौर पर शामिल व्यक्ति नहीं हैं, तो कम से कम ऐसे अन्य व्यक्ति हैं जो जांच में रुचि रखते होंगे। अधिनियम के प्रावधान 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपराधी के रूप में, व्यावहारिक रूप से कानून के दंड के दायरे से बाहर रखते हैं। ऐसे में जांच न केवल पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मामले के इस पहलू के बारे में शिकायतकर्ताओं को पूरी तरह से अंधेरे में छोड़ना, खासकर जब उन्हें मुकदमे में आरोपी प्रतिवादी के खिलाफ गवाही देने की आवश्यकता होती है, इससे न्याय की विफलता होगी। इस प्रकार, बाल न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ताओं को आरोपी की उम्र निर्धारित करने के लिए जांच में भाग लेने के लिए एक अवसर दिए जाने की आवश्यकता थी और शिकायतकर्ताओं को शामिल किए बिना न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द किया जा सकता है। (पैरा 5-6)

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि मामले के रिकॉर्ड तलब किए जाएं; उसी के अवलोकन के बाद उन्होंने आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-1, पी-2, पी-3, पी-4/1 और पी-4/2 को रद्द कर दिया। यह घोषित किया जाए कि प्रतिवादी बच्चा नहीं है और उन्होंने आरोपी को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय में भेजने के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किया। कोई अन्य राहत जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे, वह पारित कर सकता है।

आगे प्रार्थना की गई है कि याचिका के अंतिम निर्णय तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ताओं के वकील एस.एस.राठौड़।

जतिंदर शर्मा, वकील, ए.जी. हरियाणा के लिए।

एम. एल. सैनी, वकील, नंबर 2 के लिए।

निर्णय

एम.एम पूंछी, जे.(मौखिक):

1. इस याचिका में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत, इस न्यायालय से यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ताओं को हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 के प्रयोजनों के लिए शेर दीन प्रतिवादी संख्या 2 की आयु निर्धारित करने के लिए जांच में भाग लेने दिया जाए।
2. संक्षेप में कहा जाए तो तथ्य यह है कि 5 मार्च 1981 को 5/6 वर्ष की एक नाबालिग लड़की, जिसका नाम निर्मला देवी था, की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन घरौंडा में दर्ज कराई गई थी। बाद में 9 अप्रैल 1981 को, शेर दीन प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/376/201 के तहत पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। इसमें सुझाव दिया गया कि उसने नाबालिग लड़की के साथ जबरन संभोग किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और अपराध के सबूतों को गायब कर दिया गया। आरोपी को अपना मुकदमा चलाने के लिए सत्र न्यायालय में प्रतिबद्ध होने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करनाल के समक्ष लाया गया था। इससे पता चला कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय ही हरियाणा बाल अधिनियम 1974 के प्रयोजनों के लिए "बाल न्यायालय" था। उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी की उम्र निर्धारित करने के लिए एक जांच की। इस प्रक्रिया में उन्हें अभियोजन पक्ष और अभियुक्त से साक्ष्य का नेतृत्व करने की आवश्यकता थी। आश्चर्य की बात यह है कि अभियोजन पक्ष ने स्वयं पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में आरोपी के पिता माजिद से पूछताछ की और साक्ष्य प्रदर्श पी. 1 में भी प्रस्तुत किया, जन्म प्रमाण पत्र जो कि आरोपी से संबंधित सुझाया गया है। दूसरी ओर, आरोपी ने केवल अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया। हालाँकि, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त कार्यवाही में शिकायतकर्ताओं, वर्तमान याचिकाकर्ताओं की भागीदारी को आमंत्रित करने का ध्यान नहीं रखा। दर्ज किए गए साक्ष्यों के आधार पर, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोपी-प्रतिवादी शेर

दीन एक बच्चा था। उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र, एक्ज़िबिट पी1 को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसमें आरोपी का नाम नहीं था। जन्म प्रमाण पत्र से पता चला कि 8 अक्टूबर 1963 को गुढ़ा गांव के माजिद पुत्र बदलू के यहां नन्हा नाम के बेटे का जन्म हुआ था। हालाँकि, माजिद ने अपने बयान में कहा था कि उसके बेटे की उम्र लगभग 15 साल थी और वह उसका सबसे बड़ा बेटा था, जिसका जन्म गुढ़ा गाँव में हुआ था। हालाँकि, स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र, एक्ज़िबिट डी.ए. से पता चला कि आरोपी की जन्मतिथि 15 जनवरी, 1966 थी। इसलिए एक्ज़िबिट्स डी.ए और पी1 के बीच लगभग 2 साल का अंतर था। एक्ज़िबिट डी.ए. पर भरोसा करते हुए, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माना कि शेर दीन आरोपी-प्रतिवादी एक बच्चा था क्योंकि घटना 3 मार्च 1981 को हुई थी, जैसा कि जांच में सुझाया गया था।

3. याचिकाकर्ताओं में से एक, धन सिंह ने 11 जनवरी 1982 को एक आवेदन दायर कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से उनके 3 सितंबर, 1981 के उपरोक्त आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 11 फरवरी, 1982 को प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद, राज्य द्वारा समर्थित याचिकाकर्ता धन सिंह ने 11 फरवरी, 1982 के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग के लिए सत्र न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। विद्वान सत्र न्यायाधीश का मानना था कि चूंकि 3 सितंबर 1981 के मूल आदेश को किसी भी स्तर पर किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, 11 फरवरी 1982 के आदेश के खिलाफ संशोधन याचिकाकर्ताओं को वांछित राहत नहीं दिला सका। याचिका में, याचिकाकर्ता धन सिंह और पहले मुखबिर प्रेम सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है और मुख्य रूप से तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं को शिकायतकर्ता के रूप में आरोपी-प्रतिवादी की उम्र के निर्धारण के लिए जांच की कार्यवाही में शामिल किया जाना चाहिए था।

4. रियाणा बाल अधिनियम के प्रावधानों में एक बाल न्यायालय की स्थापना की परिकल्पना की गई है, और एक स्थापित किए जाने की अनुपस्थिति में, उस न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग विशेष रूप से सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। मुझे **सुरजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1983(1) C.L.R. 403**. के मामले में यह देखने का अवसर मिला कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करनाल ऐसा ही एक नामांकित न्यायालय था। जैसा कि पहले कहा गया था, आरोपी-प्रतिवादी को नियमित तरीके से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सत्र न्यायालय में पेश करने के लिए लाया गया था। और इसने

विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर दिया कि क्या अभियुक्त-प्रतिवादी उपरोक्त अधिनियम के अर्थ के तहत एक बच्चा था या नहीं।

5. माना गया कि अपराधी बच्चों के संबंध में बाल न्यायालय हरियाणा बाल अधिनियम 1974 की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित "सक्षम प्राधिकारी" के दायरे में आता है। इसकी धारा 27 के लिए आवश्यक है कि उक्त अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अलावा कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की किसी भी बैठक में उपस्थित रहेगा, सिवाय-(ए) सक्षम प्राधिकारी का एक अधिकारी, या (बी) सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जांच के पक्ष, बच्चे के माता-पिता या अभिभावक और पुलिस अधिकारियों सहित जांच में सीधे तौर पर शामिल अन्य व्यक्ति; और(सी) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें सक्षम प्राधिकारी उपस्थित होने की अनुमति दे सकते हैं। अब यह प्रावधान बहुत सारे लोगों को शामिल करता है जो कार्यवाही में पक्षकार हो सकते हैं। यहां विचार करने वाली बात यह है कि क्या शिकायतकर्ता सीधे जांच में शामिल व्यक्ति थे या अन्यथा ऐसे अन्य व्यक्ति थे जिन्हें सक्षम प्राधिकारी इस उद्देश्य के लिए उपस्थित होने की अनुमति दे सकते थे।

   जैसा कि पहले कहा गया था, बाल न्यायालय ने शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ताओं को जांच में भाग लेने का कोई अवसर नहीं दिया। मेरी राय में, वे अपराध के घटित होने के कारण पीड़ित व्यक्तियों के रूप में, यदि जांच में सीधे तौर पर शामिल व्यक्ति नहीं हैं, तो कम से कम ऐसे अन्य व्यक्ति दिखाई देते हैं जो जांच में रुचि रखते होंगे। हरियाणा बाल अधिनियम के प्रावधान 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपराधी मानते हैं, जो व्यावहारिक रूप से कानून के दंड के दायरे से बाहर हैं। इस प्रकार की जांच न केवल पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से, बल्कि अन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक दृष्टिकोण. जैसा कि मामले की परिस्थितियाँ अनुमति देती हैं, इसे व्यापक-आधारित होना आवश्यक है। शिकायतकर्ताओं को मामले के इस पहलू के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में छोड़ना, खासकर जब उन्हें मुकदमे में आरोपी-प्रतिवादी के खिलाफ गवाही देने की आवश्यकता होती है, मेरी राय में यह न्याय की विफलता को जन्म देगा। इस प्रकार, बाल न्यायालय द्वारा आरोपी-प्रतिवादी की उम्र निर्धारित करने के लिए जांच में भाग लेने के लिए शिकायतकर्ताओं को एक अवसर दिए जाने की आवश्यकता थी। यहां तक कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया भी मुझे अजीब लगती है। अभियोजन पक्ष को आरोपी की उम्र साबित करने के लिए उसके पिता को गवाह के रूप में पेश करने की अनुमति दी गई। जैसा कि अपेक्षित था, पिता ने अपने बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया कि वह बच्चा है। हालाँकि, आंतरिक रूप से, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उनके साक्ष्य को जन्म प्रमाण पत्र,

प्रदर्शनी पी1 के साथ जोड़ा गया था, जब विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसके बजाय स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को प्राथमिकता देना चुना। उनके तुलनात्मक मूल्य के लिए दोनों ओर से बहुत कुछ कहा जा सकता है। यदि शिकायतकर्ता जांच में एक पक्ष होते, तो वे यह मानने के पक्ष में सबूतों की प्रधानता को उजागर कर सकते थे कि आरोपी-प्रतिवादी अधिनियम के अर्थ के तहत बच्चा नहीं था। इस प्रकार, मेरा मानना है कि उस संबंध में की गई जांच दूषित थी। तलब की गई फ़ाइल से आगे, मुझे पता चला कि अब तक अभियोजन पक्ष के एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। इस प्रकार, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, मुकदमा प्रारंभिक चरण में है और शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में उसकी उम्र के बारे में नए सिरे से पूछताछ करने से आरोपी-प्रतिवादी पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

6. उपरोक्त कारणों से, यह याचिका स्वीकार की जाती है। आरोपी-प्रतिवादी को बच्चा घोषित करने वाले आदेशों को खारिज कर दिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार शिकायतकर्ताओं, आरोपी और अभियोजन पक्ष की उपस्थिति में फिर से तय करने के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है। पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 11 अक्टूबर, 1984 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करनाल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशीष कुमार मंडल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फिरोज़पुर झिरका, नूंह